

सं. 12012/3/2009-स्था.(छुट्टी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 28/2/2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : औद्योगिक कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक कर्मचारियों को सीसीएस(छुट्टी) नियमावली, 1972 के दायरे में आने वाले केन्द्र सरकार के गैर औद्योगिक कर्मचारियों के समान अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण के संशोधित आदेश लागू करने से संबंधित मामला इस विभाग के विचाराधीन रहा है। वित्त नंत्रालय (व्यवस्था विभाग) के परामर्श से इस विभाग के दिनांक 25 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14028/3/2008-स्था(छुट्टी) के प्रावधानों को आवश्यक परिवर्तनों सहित रेल मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों/विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, औद्योगिक कर्मचारीगण 300 की अधिकतम सीमा के अधीन अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी दोनों का नकदीकरण कराने के हकदार होंगे। अर्जित छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य राशि अपरिवर्तित रहेगी। तथापि, अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य राशि, अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए देय छुट्टी वेतन जमा छुट्टी वेतन पर अनुमेय महंगाई भत्ते के बराबर होगी और इसमें देय पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के पेंशन समकक्ष में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अर्जित छुट्टी में कमी को पूरी करने के लिए अर्द्ध छुट्टी का कोई संराशीकरण नहीं किया जाएगा। इस विभाग के दिनांक 7 अक्टूबर, 1996 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/25/94-स्था(छुट्टी) में इस सीमा तक संशोधन कर दिया गया है।

2. ये आदेश 07.11.2006 अर्थात वह तारीख जिससे उन कर्मचारियों को 300 दिनों की अर्जित छुट्टी के संचयन और नकदीकरण की अनुमति दी गई थी, से निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगे :-

३७१
SO(CDNY)

(ii) अवृत्त लाभ, 07.11.2006 से बाजे तक की 100% के पेंचले मामलों के लिए
ग्रा. संबोधित मंत्रालय वो संबंधित प्रश्नाओंसे रो उस वार्षिक का आवेदन प्राप्त होने पर
देख होगा ।

(iii) संवानियूत्त होने वाले कमीशरियो (07.11.2006 के बाद संवानियूत्त), जों
संवानियूति की तारीख को अपने छाते में जमा 100 दिनों की अंजीत तुरंती की
अधिकतम सीमा का नकटीकरण ग्रा. धनन तुरंती का नकटीकरण के द्वारा हो तो तब
पुक़ है, के सबूथ मे एस. मामलो पर उन विचार करने की जरूरत ही नहीं है।
07.11.2006 के बाद संवानियूत्त होने वाले औरागिक कमीशरियो जों तो
संवानियूति कमीशरियो के एस. मामले, जिनमे 300 दिनों की अंजीत होने के
ग्रा. कमी रह गई हो, पुक़ शुरू किए जा सकते हैं।

MS (Admn.)

संवा. में.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय अधिकारी व अधिकारी

(विभाग गोपनीय क्रियाक्रम)

निदेशक

